

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: // मई, 2011

विषय:- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 के राजकीय विभागों के नर्सिंग
संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-11 उ०प्र० शासन के शासनादेश
संख्या-2958/पॉच-11-2010-एन(135)/2010, दिनांक 13 जनवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे
यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के अन्त में टंकण त्रुटि
दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 के स्थान पर दिनांक 1 जनवरी, 2008 अंकित हो गया है, अतः उक्त
शासनादेश दिनांक 13-1-2011 के प्रस्तर-2 के अन्त में अंकित "दिनांक 1 जनवरी, 2008" के
स्थान पर "01 दिसम्बर, 2008" पढ़ा जाय।

2- शासनादेश संख्या-2958/पॉच-11-2010-एन(135)/2010, दिनांक 13 जनवरी, 2011
उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,


^{MA}
^(10.5.11)
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

संख्या-060 (1)/पॉच-11-2011-तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- महानिदेशक/निदेशक, (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०
लखनऊ।
 - 3- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3।
 - 5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-3 प्रतियों में)।
- 6- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(अनंद प्रकाश)
उप सचिव।
10/5/2011


कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 19फ/उप०/एशो०/०८-०९/ 6161-68 लखनऊ: दिनांक: 26/05/2011

प्रतिलिपि निम्न को शासनादेश संख्या:- 860/पौघ-11-2011-एन(135)/10, दिनांक: 11/05/11

के अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि शासकीय व्यवस्थानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/बू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर/ए०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर/एस०एन० मेडिकल कालेज चिकित्सालय, आगरा/ बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर/एम०एल०बी० चिकित्सालय, झाँसी/एस०बी०पी० चिकित्सालय, मेरठ/एस०आर०एन० चिकित्सालय, इलाहाबाद/जी०एस०बी०एम० चिकित्सालय, कानपुर/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ओपेन/निदेशक/कैन्सर संस्थान, कानपुर/टी०बी० सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद/एस०एस०पी०जी० चिकित्सालय, याराणसी/एम०एल०एच० चिकित्सालय, इलाहाबाद/डा० एस०पी०एम० चिकित्सालय, लखनऊ/आर०एम०एल० चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/टी० बी० क्लीनिक, टाकुरगंज, लखनऊ।
6. अधीक्षक, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
7. प्रमुख अधीक्षक, टी०बी० चिकित्सालय(समस्त), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।


निदेशक(चिकित्सा उपचार)